FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

मदनलाल बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट मु.नं.एवं सन 66/2026
समर्पित भूमि को राजस्व में रिकॉर्ड गै0मु0 रास्ता दर्ज करने बाबत्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
13.03.26	प्रार्थी का प्रार्थना समर्पित भूमि को राजस्व में रिकॉर्ड गै0मु0 रास्ता दर्ज करने बाबत् प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अनुसार मदनलाल पुत्र गंगाजल जाति जाट निवासी चक 13 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला का चक 9 पीआरएम मु0नं0 15/32 के किला नं0 16 ता 25 में कुल तादादी 2.5290 हैक्टर अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी अपनी उपरोक्त भूमि को औधोगिक/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ हेतु सपरिवर्तन करवाई है। प्रार्थी अपनी भूमि में से चक 9 पीआरएम मु0नं0 15/32 के किला नं0 16 में चौड़ाई 10 मीटर गुणा लम्बाई 7.5 कुल 75 वर्गमीटर व किला नं0 25 में चौड़ाई 10 मीटर गुणा लम्बाई 7.5 मीटर कुल 75 वर्गमीटर इसप्रकार दोनों किला में कुल तादादी 150 वर्गमीटर भूमि को अकृषि औधोगिक/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ सपरिवर्तन भूमि के लिए गैरमुमकिन रास्ता हेतु राजहक में निःषुल्क समर्पण कर रास्ता हेतु समर्पण कर दिया गया है व तहसीलदार खाजूवाला द्वारा दिनांक 18.02.26 को उक्त भूमि को अराजीराज में घोषित के आदेष प्रदान कर दिये थे। चूंकि प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का समर्पण गैरमुमकिन रास्ता बाबत् किया गया है। प्रार्थी द्वारा समर्पण भूमि को अराजीराज के स्थान पर गैरमुकिन रास्ता दर्ज करवाने के आदेष प्रदान का निवेदन किया है। प्रकरण धारा 251 ए आरटीएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली पर सुना गया। पत्रावली में संलग्न तहसीलदार खाजूवाला के समर्पण आदेष क्रमांक 121 दिनांक 18.02.26, शपथपत्र आदि का अवलोकन किया गया। अवलोकनानुसार प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में वर्णित चक चक 9 पीआरएम मु0नं0 15/32 के किला नं0 16 में चौड़ाई 10 मीटर गुणा लम्बाई 7.5 कुल 75 वर्गमीटर व किला नं0 25 में चौड़ाई 10 मीटर गुणा लम्बाई 7.5 मीटर कुल 75 वर्गमीटर इसप्रकार दोनों किला में कुल तादादी 150 वर्गमीटर भूमि का समर्पण किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य है। अतः उक्त चक 9 पीआरएम मु0नं0 15/32 के किला नं0 16 में चौड़ाई 10 मीटर गुणा लम्बाई 7.5 कुल 75 वर्गमीटर व किला नं0 25 में चौड़ाई 10 मीटर गुणा लम्बाई 7.5 मीटर कुल 75 वर्गमीटर इसप्रकार दोनों किला में कुल तादादी 150 वर्गमीटर समर्पण भूमि(अराजीराज) को राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार खाजूवाला आदेष मुताबिक अमलदरामद करें। तहसीलदार खाजूवाला को आदेष की प्रति तहरीर जारी कर भिजवाई जावें। पत्रावली फैसलषुमार होकर दाखिलदफ्तर हो। आदेष आज सरे इजलास सुनाया।	